राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर– 302005

क्रमांकः IPI/P.5/350/18-G/2025-08020-8462218
दिनांक : यथा ई–हस्ताक्षरित

परिपत्र

रीको भू–निपटान नियम, 1979 के नियम 18(जी) के अनुसार भूखण्डों के आवंटन को समर्पण किए जाने का प्रावधान है एवं भूखण्ड आवंटन समर्पण हेतु प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लिए जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक सक्षम प्राधिकारी है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा समर्पण स्वीकार किए जाने के पश्चात् देय राशि लौटाए जाने से पूर्व भूखण्ड का कब्जा लिया जाने का प्रावधान है।

कतिपय इकाई प्रभारियों द्वारा भूखण्ड आवंटन समर्पण हेतु प्राप्त आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिए जाने से पूर्व ही भूखण्ड का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है, अतः समस्त इकाई प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि रीको भू–निपटान नियम 1979 के नियम 18 (जी) के तहत भूखण्ड आवंटन समर्पण के आवेदनों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने के उपरान्त ही भूखण्ड के कब्जे के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित नहीं किये जाने पर सम्बन्धित इकाई प्रभारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

उक्त परिपत्र सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(निमिषा गुप्ता)
सलाहकार (इन्फ्रा)

प्रतिलिपिः

1. units@riico.co.in
2. staff@riico.co.in

Signature valid
Digitally signed by Nimisha Gupta
Designation : ADVISOR INFRA
Date: 2026.04.25 20:09:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21535184
M e-Sign